तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की मैं जारी
	जारी रखा जाना चाहिए। प्रार्थी की तुलना में अन्य सहखातेदारों के हितों के विरुद्ध होगा। अतः T.I. प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर (इस प्रतिबंध के साथ) खारिज किया जाता है कि यदि इससे संबंधित बँटवारा वाद बाबत खाता विभाजन जिसमें आज न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी की गई है के अन्तिम निर्णय से पूर्व कोई पक्षकार/ सहखातेदार अपने हक-हिस्से का अन्तरण अजनबी क्रेता/ पक्षकार को करता है तो नवीन क्रेता/ अन्तरिती संलग्न वाद में अन्तरण करने वाले पक्षकार के हक-हिस्से से अधिक रिलीफ की मांग नहीं कर सकेगा व संलग्न वाद में जारी की जाने वाली अन्तिम डिक्री के अधीन हक-हिस्सों को प्राप्त करने का अधिकारी होगा। पत्रावली निस्तारित की जाकर निर्णय जेरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली संलग्न मूल वाद हो।	

(हस्ताक्षर)
10.06.26
रणजीत कुमार
RAS
ACEM (SDO)
बीकानेर

Scanned with OKEN Scanner